

1*** वयस्कता अधिनियम, 1875²

(1875 का अधिनियम संख्यांक 9)

[12 मार्च, 1875]

वयस्कता की आयु सम्बन्धी विधि का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

उद्देशिका—यतः 3[भारत] में अधिवसित व्यक्तियों के विषय में यह समीचीन है कि 4[वयस्कता की आयु विनिर्दिष्ट की जाए]
अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम 1*** वयस्कता अधिनियम, 1875 कहा जा सकेगा ।

स्थानीय विस्तार—⁵[इसका विस्तार 6[जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय,] सम्पूर्ण भारत पर है ;]

प्रारंभ और प्रवर्तन—और यह अपने पारित होने से तीन मास की समाप्ति पर ही प्रवृत्त और प्रभावी होगा ।

2. व्यावृत्तियां—इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात—

(क) निम्नलिखित मामलों, (अर्थात्) विवाह, मेहर, विवाह-विच्छेद और दत्तक-ग्रहण, में कार्य करने की किसी व्यक्ति की क्षमता पर ;

(ख) 7[भारत के नागरिकों] के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक कृत्यों और प्रथाओं पर ; अथवा

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति की क्षमता पर जिसने इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व उसको लागू विधि के अधीन वयस्कता प्राप्त कर ली हो,

प्रभाव नहीं डालेगी ।

8[3. भारत में अधिवसित व्यक्तियों की वयस्कता की आयु—(1) भारत में अधिवसित प्रत्येक व्यक्ति अपनी अठारह वर्ष की आयु पूरी करने पर ही वयस्कता की आयु प्राप्त करेगा न कि उससे पूर्व ।

(2) किसी व्यक्ति की आयु की संगणना करने में, वह दिन जिसको उसका जन्म हुआ, संपूर्ण दिन के रूप में सम्मिलित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि उसने उस दिन की अठारहवीं आब्दिकी के आरंभ होने के समय वयस्कता प्राप्त की ।]

यथापूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए, 9[भारत] में अधिवसित हर अन्य व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने वयस्कता (अर्थात् प्राप्तवयता) तब प्राप्त की जब उसकी आयु अठारह वर्ष की हो गई न कि उससे पूर्व ।

4. वयस्कता की आयु कैसे संगणित की जाएगी—किसी व्यक्ति की आयु की संगणना करने में वह दिन जिसको उसका जन्म हुआ, संपूर्ण दिन के रूप में सम्मिलित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि उसने, यदि वह धारा 3 के प्रथम पैरा में आता है, तो उस दिन की इक्कीसवीं आब्दिकी के आरंभ होने के समय और यदि वह धारा 3 के दूसरे पैरा में आता है, तो उस दिन की अठारहवीं आब्दिकी के आरम्भ होने के समय, वयस्कता प्राप्त की ।

¹ 1999 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।

² यह अधिनियम 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर तथा 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित ।

1968 के अधिनियम सं० 26 द्वारा पांडिचेरी पर निम्नलिखित उपांतरणों सहित विस्तार किया गया है, अर्थात् :—

धारा 1 के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित कीजिए :—

“परन्तु इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रनोंसाओं को लागू नहीं होगी” ।

³ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ 1999 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁵ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा मूल पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “भाग ख राज्यों के सिवाय” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁷ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “भारत में हिज मेजेस्टी की प्रजा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁸ 1999 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁹ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

दृष्टांत

(क) य का जन्म 1850 की जनवरी के प्रथम दिन ¹[भारत] में हुआ है और ²[उसका अधिवास भारतीय] है। न्यायालय द्वारा उसके शरीर के लिए संरक्षक नियुक्त किया जाता है। य 1871 की जनवरी के प्रथम दिन के प्रथम क्षण वयस्कता प्राप्त करता है।

(ख) य का जन्म 1852 की फरवरी के उनतीसवें दिन ¹[भारत] में हुआ है और ²[उसका अधिवास भारतीय] है। न्यायालय द्वारा उसकी सम्पत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त किया जाता है। य 1873 की फरवरी के अट्ठाईसवें दिन के प्रथम क्षण वयस्कता प्राप्त करता है।

(ग) य का जन्म 1850 की जनवरी के प्रथम दिन हुआ है। वह ¹[भारत] में अधिवास अर्जित करता है। उसके शरीर या सम्पत्ति के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाता है और न वह किसी प्रतिपाल्य अधिकरण की अधिकारिता के अधीन है। य 1868 की जनवरी के प्रथम दिन के प्रथम क्षण वयस्कता प्राप्त करता है।

¹ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “भाग क राज्य या भाग ग राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “भाग क राज्य या भाग ग राज्य में अधिसूचित” के स्थान पर प्रतिस्थापित।